ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

YEAR : 2010-2011

(1-4-2010 TO 31-03-2011)

वर्ष : 2010-2011

(1-4-2010 से 31-03-2011)

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA- 171009

ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश,

शिमला–1 7 1 0 0 9

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन	1-4
2.	ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा	4-6
3.	ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें	6
4.	कर्मचारी पद्धति (स्टाफिंग पैर्टन)	6-7
5.	विभाग के कार्य/ गतिविधियां	7-9
6.	राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन प्रकोष्ठ	9-10
7.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम / योजनाएं	10
	1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम	10
	2. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	10-13
	3. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएं	14-22
	4. माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	22-28
	5. इन्दिरा आवास योजना	29-30
	6. अटल आवास योजना	30-31
	7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	31-32
	8. मातृ शक्ति बीमा योजना	32-33
	9. जलागम विकास परियोजनाएं	34-39
	10. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	39-42
8.	सूचना का अधिकार अधिनियम	43

1. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन देश की स्वतन्त्रता के पश्चात से ही प्रमुख समस्याएं रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2 अक्तूबर,1952 से देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देष्य जन–सहयोग से ग्रामीण विकास को सम्भव करना था। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रारूपीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए विकास खण्डों का सृजन किया गया।

वर्ष 1999, तक स्वरोजगार योजनाएं आई0आर0डी0पी0, ट्राईसम, डवाकरा, ग्रामीण दस्तकारों के लिए उन्नत औजार प्रदान करने की योजना, दस लाख कूप योजना और गंगा कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रहीं थी। परन्तु 1.4.1999 से ये योजनाएं स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में समेकित कर दी गई। इसी प्रकार जवाहर ग्राम समृद्दि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना भी चलाई जा रही थी। परन्तु 1.4.2002 से ये योजनाएं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समेकित कर दी गई है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999–2000 से आरम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न आयवर्धक गतिविधियां शुरू करने हेतु अनुदान एवं ऋण प्रदान करना है। इस योजना में स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे ग्रामीण निर्धनों को समूहों में गठित करना, उनकी कार्य क्षमता को बढाना, समूह गतिविधियों का नियोजन, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, ऋण तथा विपणन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 1.4.2002 को आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ–साथ अन्न सुरक्षा व ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। अब उक्त योजना को 2 फरवरी, 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित किया गया है।

संसद ने सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसा परिवार, जिसके सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु आगे आते हैं, को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू हुआ जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया था। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा

और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अन्य 8 जिलों को 1 अप्रैल, 2008 चरणबद्ध तरीके से इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत परतीभूमि विकास परियोजना, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इत्यादि का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पंहुचाया जा सके।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विकास खण्ड़ एक महत्त्वपूर्ण इकाई है।

जिलावार विकास खण्ड़ों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	जिला का नाम	विकास खण्ड़ का नाम
1.	बिलासपुर	1. बिलासपुर (सदर)
		2. घुमारवीं
		3. झण्डूता
2.	चम्बा	1. चम्बा
		2. मैहला
		3. सलूणी
		4. तीसा
		5. भटियात
		6. पांगी
		7. भरमौर
3.	हमीरपुर	1. हमीरपुर
		2. बिझड़ी
		3. भोरंज
		4. नादौन
		5. सुजानपुर टीहरा
		6. बमसन
4.	कांगड़ा	1. बैजनाथ
		2. भवारना
		3. पंचरूखी

		4. लम्बागांव
		5. नगरोटा बगवां
		6. नगरोटा सूरियां
		7. कांगड़ा
		8. रैत
		9. नूरपुर
		10. इन्दौरा
		11. देहरा
		12. प्रागपुर
		13. फतेहपुर
		14. सुलह
		15. धर्मशाला
5.	किन्नौर	1. कल्पा
		2. निचार
		3. पूह
6.	कुल्लू	1. नग्गर
		2. कुल्लू
		3. बंजार
		4. आनी
		5. निरमण्ड
7.	लाहौल स्पीति	1. लाहौल स्थित केलांग
		2. स्पिति स्थित काजा
8.	मण्डी	1. मण्डी (सदर)
		2. बल्ह
		3. सुन्दरनगर
		4. करसोग
		5. गोहर
		6. गोपालपुर
		7. द्रंग
		8. चौंतड़ा
		9. धर्मपुर
		10. सिराज
9.	शिमला	1. मशोबरा
		2. ठियोग
		3. नारकण्डा
		4. रामपुर
		5. चौपाल
		6. जुब्बल–कोटखाई
		7. रोहडू
		8. छौहारा
		9. बसंतपुर

		10.	ननखडी
10.	सिरमौर	1.	पच्छाद
		2.	नाहन
		3.	शिलाई
		4.	संगड़ाह
		5.	पावंटा
		6.	राज़गढ़
11.	सोलन	1.	कण्डाघाट
		2.	कुनिहार
		3.	धर्मपुर
		4.	सोलन
		5.	नालागढ़
12.	ऊना	1.	बंगाणा
		2.	अम्ब
		3.	गगरेट
		4.	ऊना
		5.	हरोली

2. ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा

हिमाचल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग का ढांचा निम्नलिखित हैः–

राज्य स्तर परः–

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए निदेशक–एवं–विशेष सचिव, अतिरिक्त निदेशक–एवं–अतिरिक्त/संयुक्त सचिव(ग्रा0वि0) कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर निम्नलिखित कक्ष कार्य कर रहे हैंः–

(1) **राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ**

उप–निदेषक (ग्रा0वि0) प्रकोष्ठ का कार्यक्रम अधिकारी है।

(2) **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम**

उप निदेषक (सां0) तथा सहायक निदेषक (मनरेगा) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी हैं।

(3) **राज्य स्तरीय नोडल संस्था (जलागम)**

परियोजना निदेषक, प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है।

(4) **सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान**

सहायक निदेषक (टी0एस0सी0) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है।

जिला स्तर परः–

जिला स्तर पर सभी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उत्तरदायी बनाया गया है। जिलाधीश ग्रामीण विकास अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किये गये हैं । परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) सहायक परियोजना अधिकारी, (जलागम) परियोजना अर्थशास्त्री, अधीक्षक, सांख्यकीय अन्वेक्षक, वरिष्ठ सहायक, लिपिक व सेवादार उन्हे अभिकरण के कार्यो के निष्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। जिलाधीशों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की एक शासकीय निकाय हैं। ये निकाय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड स्तर परः–

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी निम्नलिखित संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करते हैः–

1. अधीक्षक
2. कनिष्ठ अभियन्ता
3. महिला समाज शिक्षा संगठक/आयोजिका
4. समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी
5. वरिष्ठ सहायक (प्रगति)
6. वरिष्ठ सहायक
7. लिपिक/आशु टंकक
8. पंचायत सचिव/सहायक
9. कम्पयूटर ऑप्रेटर
10. ग्राम रोज़गार सेवक
11. ग्राम विकास संयोजिका
12. चालक

13. सेवादार

14. सफाई कर्मचारी/चौकीदार

3. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करने के आश्य से 3 पद अधिशाषी अभियन्ता, 36 पद सहायक अभियन्ता, 171 पद कनिष्ठ अभियन्ता, 3 पद मुख्य प्रारूपकारों और 24 पद प्रारूपकारों के अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं। राज्य स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा दो कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का 1 अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला में आंचलिक कार्यालय जिसमें अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक, आशुटंकक, लिपिक, चालक तथा सेवादार के पद सृजित किये गये हैं जो तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यरत है।

4. कर्मचारी पद्वति (स्टाफिंग पैटर्न)

श्रेणीवार स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की 31.3.2010 तक की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	उप –निदेशक	1	1	-
2.	खण्ड विकास अधिकारी	96	95	1
3.	प्रशासनिक अधिकारी	1	--	1
4.	अधिशाषी अभियन्ता	3	3	--
5.	सहायक अभियन्ता (विकास)	36	28	8
6	अधीक्षक ग्रेड–1	1	1	-
7	अधीक्षक ग्रेड–11	100	100	-
8	विकास अधिकारी (महिला कार्यक्रम)	5	5	-
9	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी	80	71	09
10	पंचायत सचिव	1208	787	421
11	कनिष्ठ अभियन्ता	171	146	25
12	वरिष्ठ सहायक	185	185	...
13.	वरिष्ठ सहायक (प्रगति)	77	77	...
14.	अन्वेषक	2	2	—
15.	सांख्यिकीय सहायक	3	.....	3
16.	मुख्य प्रारूपकार	3	3	—
17.	प्रारूपकार	24	24	...

18.	लिपिक	215	133	82
19.	अशु टंकक	37	04	33
20.	कनिष्ठ आशु टंकक	02	02	--
21	वरिष्ठ आशु टंकक	01	01	--
22.	निजी सहायक	01	01	--
23.	चालक	86	86	-
24.	महिला समाज षिक्षा आयोजिका/ संगठक	79	79	--
25.	महिला ग्राम विकास संयोजिका	176	54	122
26	कनिष्ठ सिलाई अध्यापिका	23	23	--
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	376	304	72

5. विभाग के कार्य/गतिविधियांः–

विभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार से हैंः–

- विभाग में विभिन्न विकास कार्यों जैसे सामुदायिक विकास, आवास योजना जैसे इन्दिरा आवास योजना और अटल आवास योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जलागम विकास परियोजनाएं,(आई0डब्लयू0डी0पी0, डी0डी0पी0 तथा डी0पी0ए0पी0), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम भी विभाग द्वारा कार्यान्वियत किये जा रहे हैं।

कार्य

- उपरोक्त दिये गये विभाग के सभी कार्यों के लिये विभाग के विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेवारियॉ निम्न प्रकार से हैंः–

प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास

- प्रदेश सरकार को नीति निर्धारण एवं प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना।

निदेशक एवं विशेष सचिव

- विभाग का पूर्ण प्रशासकीय, वित्तीय नियन्त्रण ।

अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास एवं अतिरिक्त/संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास

- प्रधान सचिव (ग्रा0वि0), निदेशक ग्रामीण विकास को नीति निर्धारण, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों पर नियन्त्रण में सहयोग देना तथा अन्य सौंपे गए कार्य करना।

उप–निदेशक ग्रामीण विकास/ सांख्यकीय

- निदेशक महोदय को केन्द्रीय तथा राज्य के कार्यक्रम / योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना तथा प्रधान सचिव एवं विशेष सचिव को नीति निर्धारण में सहयोग देना।

सांख्यिकीय अधिकारी

- उप–निदेशक सांख्यकीय को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग देना तथा विशेष रूप से आवधिक रिपोर्टों तथा अनुश्रवण में सहयोग देना।

उप–नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)

- विकास खण्ड़ों का वार्षिक निरीक्षण करना, लेखा परीक्षा रिर्पोटें तैयार करना, महालेखा परीक्षक/जनलेखा समिति के द्वारा मांगे गये पैरों के उत्तर बनाकर समायोजित करना तथा छः अनुभाग अधिकारियों के सहयोग से परामर्श हेतु मामलों में सुझाव देना।

अधिशाषी अभियन्ता (ग्रा0वि0) मुख्यालय :

- विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन का टैस्ट चैक तथा निरीक्षण करना, विभिन्न विकासात्मक कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों का अनुश्रवण, वित्तीय, संख्यात्मक, गुणात्मक पहलुओं को ध्यान रखते हुए करना। इसके अतिरिक्त मुरम्मत कार्यो का प्राक्कलन तैयार करना, कार्यों का निर्धारण, कार्यों के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना, कार्यों का निरीक्षण, प्राक्कलनों की जांच करना, निविदाओं की स्वीकृति, अनुबन्ध तैयार करना, केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं इत्यादि। इनके अधीन सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/मुख्य प्रारूपकार/ प्रारूपकार कार्यरत हैं।

अधीक्षक ग्रेड़–I, II /सी0डी0–II, सी0डी0–III/ अधिशाषी अभियन्ता/रोकड़ एवं बजट

1. अधीक्षक शाखा.–I, II प्रशासनिक अनुभव द्वारा निष्पादित कार्यों की देखरेख।
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्त करना तथा उनके दैनिक कार्यों की देखरेख करना।

3. यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्बन्धित सहायक सभी तरह के सहायक रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेख का रखरखाव करें ।
4. डाक भेजना तथा नस्तियों को अनुभाग एवं उच्च अधिकारियों को भेजने हेतु उनकी देखरेख करना।
5. समयबद्ध मामलों तथा न्यायालय मामलों का समय पर निष्पादन करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि मैनुअल, नियम, दिशा–निर्देश तथा रक्षक नस्ति, प्रेसिडेंट रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार किया जा रहा है।

6. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ

हिमाचल प्रदेष सरकार ने निदेषालय स्तर पर वर्ष 1999–2000 में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन किया है।

कार्यः– राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का कार्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना है।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद निम्न प्रकार से हैंः–

क्र0सं0	पद का नाम	संख्या
1.	संयुक्त निदेषक	1
2.	उप–निदेषक (सांख्यिकीय)	1
3.	विषयवाद विषेषज्ञ	2
4.	सांख्यिकीय अधिकारी	1
5.	अधीक्षक ग्रेड–1	1
6.	सहायक अभियन्ता (विकास)	1
7.	सांख्यिकीय अन्वेषक	4
8.	सांख्यिकीय सहायक	5
9.	वरिष्ठ सहायक	4
10	प्रषासनिक अधिकारी (अंकेक्षण)	1
11.	लेखाकार /रोकड़िया	1
12.	कम्पयूटर ऑपरेटर	1
13	कनिष्ठ आषु टंकक	1
14.	लिपिक एवं टंकक	3
15.	सेवादार	2

उक्त कर्मचारियों की संख्या पहले से ही निदेषालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को सम्मिलित कर के है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्गनिर्देषिका के अनुसार प्रकोष्ठ का प्रषासनिक व्यय जिलों से प्राप्त (केन्द्रीय अंष + राज्य अंष) का 10 प्रतिषत में से किया जाता है।

7. ग्रामीण विकास कार्यक्रम

प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रमः–

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं, सामुदायिक विकास की पुरानी रूपरेखा पर आधारित है, जिसके उद्वेश्य जन–समुदाय के सहयोग से भी उनका विकास करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा मदों के तहत सम्बन्धिम क्षेत्रों में विकास हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। विकास खण्ड़ों में कर्मचारियों के लिए आवास गृह के निर्माण तथा ग्राम सेवक भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए धन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मुख्यालय, विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया जाता है । महिला मण्डलों को प्रोत्साहित करने तथा सुदृढ करने के प्रयोजन से 'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना' तथा महिला मण्डलों के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन करने के लिए भी विकास खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

चालू वित वर्ष 2010–11, के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए 1536.73 लाख रू0 31.3.2011 तक व्यय किये गये है।

2. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजनाः–

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना प्रदेश में वर्ष 1999–2000 से चलाई गई। यह योजना स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में गठित करना, प्रशिक्षित करना, ऋण प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, सरंचनात्मक तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने की एक व्यापक योजना है। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्धेश्य लाभार्थी निर्धन परिवारों को आयवर्धक परिसम्पत्तियां प्रदान करके उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। यह योजना ऋण एवं अनुदान की योजना है। इस योजना के अधीन

परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 7500/–रू0 है, अनुदान के रूप में दी जाती है। अनुसूचित जाति/जन–जाति के लिए यह सीमा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है, जिसकी अधिकतम सीमा 10000/–रू0 निर्धारित है। स्वरोज़गारियों के समूह के लिए अनुदान की सीमा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या प्रतिव्यक्ति औसतन मु0 10000 रू0 तथा अधिकतम सीमा 1.25 लाख रू0 जो भी कम हो लागू होगी। सिंचाई परियोजनाओं पर अनुदान राषि की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना मुख्य रूप से ग्रामीण निर्धन परिवारों को विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के अधीन 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जन–जाति, 40 प्रतिशत महिला, 3 प्रतिषत विकलांग व 15 प्रतिषत अल्पसंख्यक होते हैं। इस योजना का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से है:–

(रू0 लाखों में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	ऋण वितरण लक्ष्य	ऋण वितरित किया गया		योग लाख रू0 में	अनुदान वितरित किया गया		योग लाख रू0 में
			समूहों को	व्यक्तिगत लाभार्थियों को		समूहों को	व्यक्तिगत लाभार्थियों को	
1.	बिलासपुर	157.94	177.11	73.79	250.90	43.69	12.39	56.08
2.	चम्बा	422.63	433.654	169.779	603.433	91.415	28.615	120.03
3.	हमीरपुर	177.77	249.10	78.91	328.01	58.99	12.73	71.72
4.	कांगड़ा	576.20	707.21	190.863	898.073	176.536	33.25	209.786
5.	किन्नौर	25.73	33.57	7.27	40.84	9.44	1.67	11.11
6.	कुल्लू	102.64	149.05	26.48	175.53	35.07	2.87	37.94
7.	लाहौल–स्पिति	21.86	9.75	17.81	27.56	2.84	5.89	8.73
8.	मण्डी	376.59	414.67	131.58	546.25	108.42	21.41	129.83
9.	शिमला	288.62	336.79	95.50	432.29	81.63	15.57	97.20
10.	सिरमौर	124.76	163.165	44.215	207.38	33.825	8.24	42.065
11.	सेलन	159.22	151.93	94.42	246.35	44.38	14.79	59.17
12.	ऊना	138.39	209.36	78.80	288.16	42.775	15.555	58.33
कुल योग		**2572.35**	**3035.359**	**1009.417**	**4044.776**	**729.011**	**172.98**	**901.991**

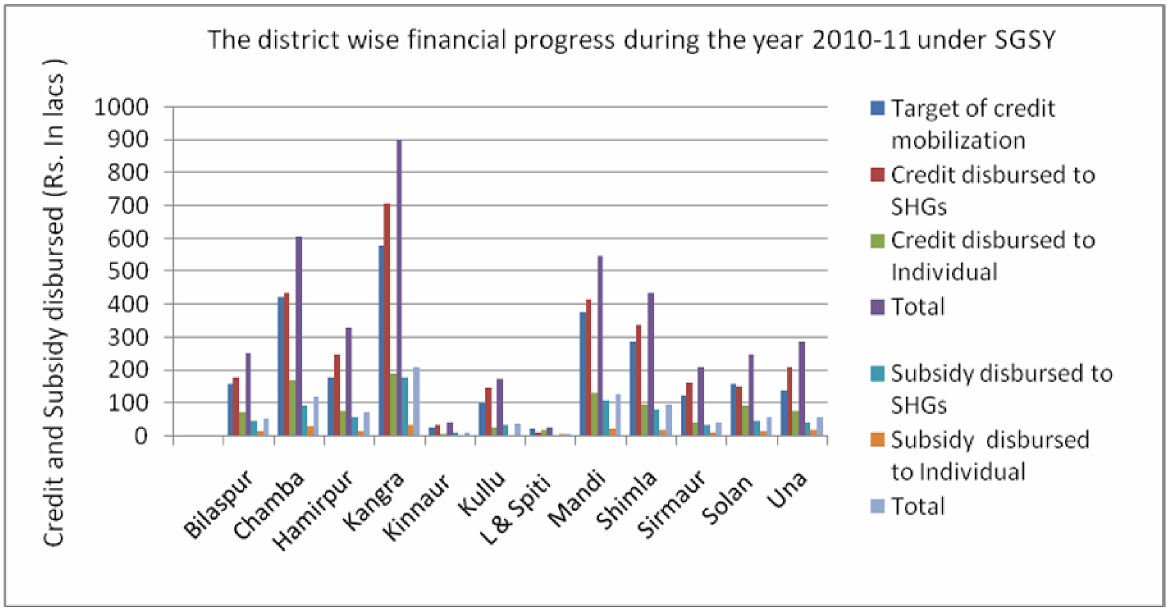

वर्ष 2010–11 के लिए समूहों तथा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की जिलावार स्थितिः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	समूहों का गठन	समूहों द्वारा ली गई आर्थिक गतिविधियां	समूहों में कुल सदस्य				अपंग व्यक्ति	व्यक्तिगत लाभार्थी लाभान्वित				अपंग व्यक्ति
				कुल	अ0 जा0	अ0ज0 जा0	महिलाए		कुल	अ0 जा0	अ0ज0 जा0	महिलाए	
1.	बिलासपुर	55	55	439	154	11	355	0	155	72	2	50	0
2.	चम्बा	140	156	1409	495	325	611	24	662	182	82	54	14
3.	हमीरपुर	72	77	697	289	8	691	0	165	55	9	59	1
4.	कांगड़ा	203	227	2209	863	144	1914	30	338	156	47	83	10
5.	किन्नौर	9	14	102	62	40	61	0	18	12	6	4	0
6.	कुल्लू	10	50	427	247	3	202	16	33	15	1	16	0
7.	लाहौल–स्पिति	3	3	36	0	36	36	0	82	0	82	41	0
8.	मण्ड़ी	164	138	1400	571	9	1008	11	238	140	0	39	11
9.	शिमला	222	121	1068	485	0	676	5	199	80	0	37	1
10.	सिरमौर	68	56	444	195	9	393	12	99	45	5	28	6
11.	सोलन	78	53	596	305	15	526	0	183	103	10	56	2
12.	ऊना	76	48	453	123	9	380	5	163	129	7	69	2
कुल योग		**1100**	**998**	**9280**	**3789**	**609**	**6853**	**103**	**2335**	**989**	**251**	**536**	**47**

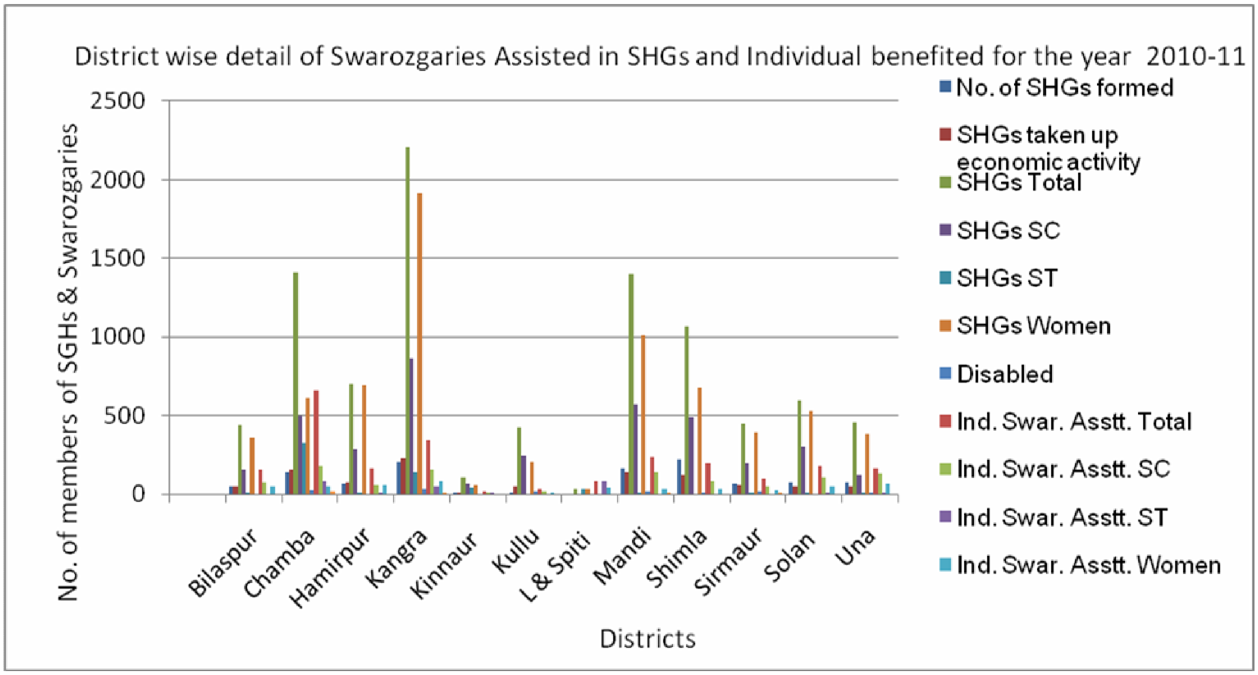

1–4–1999 से 31–3–2011 तक जिलावार गठित एवं लाभान्वित समूहों की सूची :–

क्र0सं0	जिला का नाम	आज तक कुल गठित समूह	आज तक कुल आर्थिक आयवर्धक समूहों की सूची
1.	बिलासपुर	626	395
2.	चम्बा	1520	1112
3.	हमीरपुर	738	514
4.	कांगड़ा	2279	1950
5.	किन्नौर	178	84
6.	कुल्लू	1211	411
7.	लाहौल–स्पिति	53	20
8.	मण्डी	1467	1131
9.	शिमला	1169	752
10.	सिरमौर	934	564
11.	सोलन	664	353
12.	ऊना	771	371
कुल योग		11610	7657

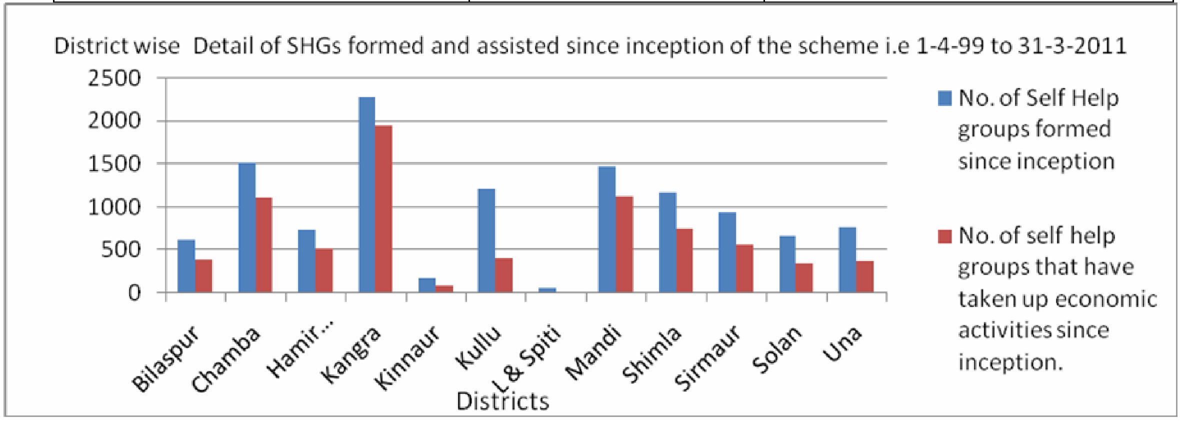

<u>ग्रामीण स्वरोज़गार प्रषिक्षण केन्द्रों (**R-SETIs**)की स्थापना</u>

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्रदान करने, स्थानीय युवाओं द्वारा स्वरोज़गार हेतु लघु उद्योग स्थापित करने तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के सदस्यों को प्रषिक्षण प्रदान कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु भारत सरकार, हिमाचल प्रदेष सरकार तथा सार्वजनिक बैंक संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण केन्द्र (**R-SETI**) की स्थापना करने की योजना आरम्भ की गई है।

इन संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अग्रणी बैंक को निःषुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रस्तावित समस्त 10 जिलों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा 8 जिलों क्रमषः बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू , मण्ड़ी, षिमला, सोलन तथा ऊना में भूमि ग्रामीण विकास विभाग के नाम स्थानान्तरित हो चुकी है जिसे अग्रणी बैंकों को पटटे पर हस्तांतरित किया गया हैं । समस्त 10 जिलों में किराये के भवनों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण केन्द्र (**R-SETI**) स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक इन संस्थानों द्वारा कुल 3730 (**APL/BPL**) युवाओं को प्रषिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इन युवाओं को स्वरोजगार के उददेष्य से ऋण सुविधा हेतु बैंको से जोड़ा जाएगा।

3. <u>स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएं</u>

(क) <u>हाईड्रैमों की स्थापना</u>

भारत सरकार ने स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजना के तहत प्रदेश में 400 हाईड्रैमों की स्थापना की एक परियोजना स्वीकृत की है, जिसकी कुल लागत 1047.20 लाख रू0 है, जिसमें 770.48 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 161.40 लाख रू0 ऋण के रूप में तथा 115.32 लाख रू0 लाभार्थी अंश के रूप में सम्मिलित है। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मार्च, 2010 तक कुल 616.80 लाख रू0 (462.60 लाख रू0 केन्द्रीय भाग तथा 154.20 लाख रू0 राज्य भाग) निर्मुक्त किये जा चुके है तथा 434.60 लाख रू0 व्यय किये जा चुके हैं। 217 हाईड्रेम स्थापित कर दिये गये हैं । भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस विशेष परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से 333 हाईड्रेम स्थापित कर परियोजना का कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।

जिलावार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजना के अन्तर्गत 31 मार्च 2011तक भौतिक एवं वित्तीय स्थिति तथा हाईड्रैमों की स्थापनाः–

क्र0 स0	मद	बिलासपुर	चम्बा	हमीरपुर	कांगड़ा	किन्नौर	कुल्लू	लाहौल–स्पिति	मण्डी	शिमला	सिरमौर	सोलन	ऊना	कुल
1.	हिमऊर्जा द्वारा स्थापित हाईड्रैम	25	19	1	15	1	5	0	95	6	14	32	2	217
2.	एरिया कवर्ड (हैक0में)	31.05	10.00	--	80-0	--	--	--	288-0	--	0.97	54.00	5.76	470.23
3.	लाभान्वित व्यक्ति	81	35	--	64	--	--	--	901	--	5	54	22	1162
4.	हाईड्रैम क्रय करने पर कुल व्यय (लाख रूपये)	हिमऊर्जा द्वारा 262 हाईड्रैम 96000/– रू0 प्रति हाईड्रैम की दर से क्रय किये												251.52
5.	हाईड्रैम स्थापित करने पर कुल व्यय (लाख रूपये)													96.80
6.	रज्जु मार्ग स्थापित करने पर कुल व्यय (लाख रूपये)													81.28
7.	कुल व्यय	(लाख रूपये)												434.60
8.	लाभार्थी अंश	लाभार्थी अंश मजदूरी के रूप में अदा करना, यदि लाभार्थी मजदूरी न कर सके तो लाभार्थी अंश नकद राशि के रूप में भी अदा कर सकते है।												

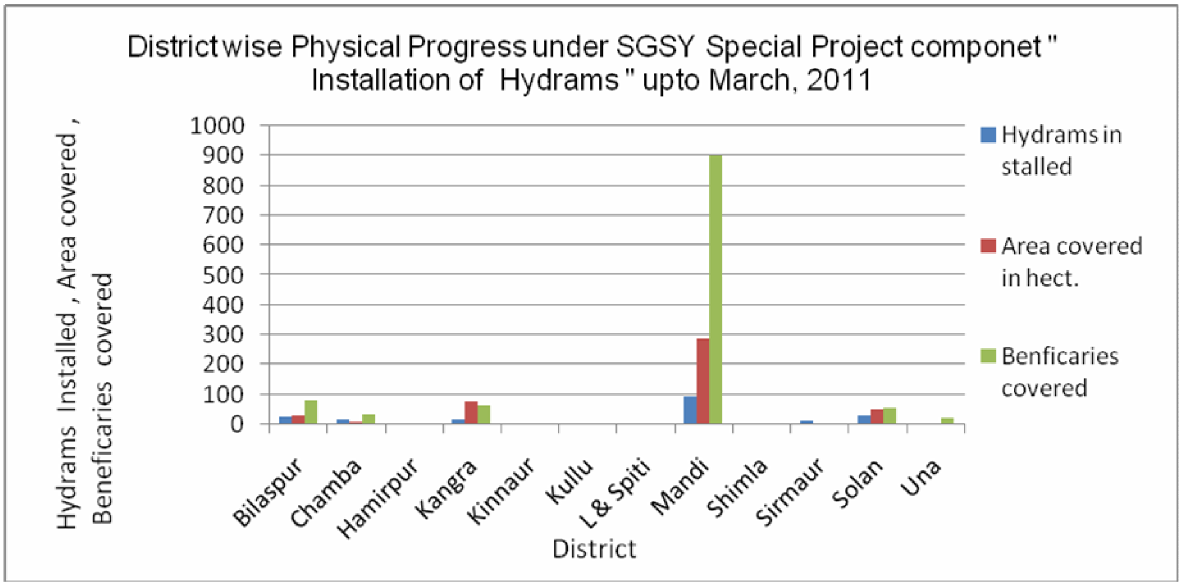

(ख) रज्जु मार्गो का निर्माण

इसके इलावा 100 लाख रू0 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मण्डी शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर में रज्जु मार्ग के निर्माण हेतु प्रदान किये जा चुके हैं, जिसकी 31 मार्च, 2011, तक की प्रगति निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	जिला का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (लाख रू0 में)	निर्मित रज्जु मार्ग	लम्बाई मीटर में	व्यय (लाख रू0 में)
1.	शिमला	25.00	1	2100	21.74
2.	मण्डी	40.00	6	5711	33.08
3.	सिरमौर	15.00	7	4000	16.46
4.	सोलन	15.00	3	3500	10.00
5	किन्नौर	5.00	0	0	5.00
कुल		**100.00**	**17**	**15311**	**86.28**

(ग) ग्रामीण वस्तुओं का विपणन

भारत सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियाजना के तहत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण वस्तुओं के विपणन की एक योजना स्वीकृत की है, जिसकी कुल लागत 914.52 लाख रू0 है, जिसमें 769.52 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 145.00 लाख रू0 ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के तहत प्रदेश में 50 हिमाचल ग्रामीण भण्डारों तथा एक केन्द्रीय ग्रामीण भण्डार का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

इस परियोजना के कार्यान्यन हेतु मु0 384.76 लाख रू0 (मु0 288.57 लाख रू0 केन्द्रीय अंष तथा मु0 96.19 लाख रू0 राज्य अषं) निर्मुक्त किये गये हैं।

मार्च, 2011, तक 24 ग्रामीण भण्डारों का कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 8 ग्रामीण भण्डारों का कार्य प्रगति पर है और एक ग्रामीण भण्डार का कार्य अभी शुरू किया जाना है। इस प्रक्रिया में मु0 353.56 लाख रू0 व्यय किये जा चुके हैं।

(घ) <u>गोल्ड माइन्ज़ परियोजना (जिला बिलासपुर में)</u>

भारत सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के लिए 840.35 लाख रू0 की लागत की ''गोल्ड माइन्ज़'' नाम की एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 327.76 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 512.59 लाख रू0 ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के तहत 3 मुख्य गतिविधियां, पुष्प उत्पादन, रेशम उत्पादन तथा मशरूम उत्पादन शामिल है।

इस परियोजना के कार्यान्यन हेतु मु0 262.208 लाख रू0 (मु0 196.656 लाख रू0 केन्द्रीय अषं तथा मु0 65.552 लाख रू0 राज्य अषं) निर्मुक्त किये गये हैं।

मार्च, 2011, तक इस परियोजना पर मु0 277.259 लाख रू0 व्यय जा चुके हैं तथा 803 लाभार्थियों को पुष्प उत्पादन, रेशम उत्पादन तथा मशरूम उत्पादन के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

(ड.) <u>मिल्च लाइव स्टॉक इम्प्रूवमैण्ट प्रोजेक्ट(जिला सोलन में)</u>

भारत सरकार द्वारा जिला सोलन के लिए 886.95 लाख रू0 की लागत की एक ''मिल्च लाइव स्टॉक इम्प्रूवमैण्ट'' नामक की एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 715.15 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 171.80 लाख रू0 ऋण के रूप में शामिल हैं। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के अधीन दुग्ध उत्पादन गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला सोलन को मु0 572.104 लाख रू0, जिसमें मु0 429.084 लाख रू0 केन्द्रीय भाग तथा मु0 143.02 लाख रू0 राज्य भाग के रूप में, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन को 31 मार्च, 2011 तक निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

मार्च, 2011, तक इस परियोजना पर मु0 600.456 लाख रू0 व्यय जा चुके हैं तथा 23964 लाभार्थियों को दुग्ध उत्पादन गतिविधियों के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

(च) <u>कृषि में विविधिकरण द्वारा ग्रामीण विकास (जिला मण्डी में)</u>

भारत सरकार द्वारा जिला मण्डी के लिए 1385.32 लाख रू0 की लागत की एक ''कृषि में विविधिकरण द्वारा ग्रामीण विकास'' नामक एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 1204.00 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 181.32 लाख रू0 ऋण के रूप में

सम्मिलित हैं। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों को विकसित किया जाएगा।

1. औषधिय पौधों की खेती, सुगंधित पौधे, फूल तथा औरकिड्स
2. रेशम उत्पादन
3. पषुपालन में अभिनव अभ्यास।

अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला मण्डी को मु0 963.20 लाख रू0 उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसमें मार्च 2011, तक मु0 873.30 लाख रू0 व्यय किये जा चुके हैं। पुष्प दवा तथा ऐरोमैटिक पौध उत्पादन, घटक के अन्तर्गत 10 पॉली हाऊसों का निर्माण किया गया है। एक टिशू कल्चर प्रयोगशाला चौंतड़ा में स्थापित कर दी गई है, और एक एकस्ट्रेक्शन यूनिट भी सौली खड्ड में निर्माण कर दिया गया है। रेशम उत्पादन घटक के अन्तर्गत 3 तकनीकी सेवा केन्द्रों ओर 3 नर्सरी (रोपणी) की स्थापना की जा चुकी है। दुग्ध उत्पादन घटक के अन्तर्गत 105 केन्द्रों, जिनमें कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नहीं थी, को यह सुविधा दे दी गई है।

(छ) सैल्फ रिलाइन्स थ्रू सैरिकल्चर एण्ड डेयरी डवैल्पमैंट (जिला हमीरपुर में)

भारत सरकार द्वारा जिला हमीरपुर के लिए 1499.981 लाख रू0 की लागत से ''सैल्फ रिलाइन्स थ्रू सैरिकल्चर एण्ड डेयरी डवैल्पमैंट '' नामक एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 980.98 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 519.00 लाख रू0 ऋण के रूप में सम्मिलित हैं।

अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों को विकसित किया जा रहा है।

1. सैरिकल्चर
2. डेयरी डवैल्पमैंट

अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला हमीरपुर को 902.187 लाख रू0 उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसमें से मार्च, 2011 तक मु0 848.11 लाख रू0 व्यय किये जा चुके है। 100 स्वयं सहायता समूहों को सैरिकल्चर के तहत सहायता प्रदान की जा चुकी है परियोजना के अन्तर्गत किसानों को चारा बीज और मिनरल मिक्सर भी प्रदान किये गए है और ट्रेनिंग कैम्पों का आयोजन भी किया गया है।

(ज) <u>ग्रीन गोल्ड (जिला चम्बा में)</u>

भारत सरकार द्वारा जिला चम्बा के लिए 1488.73 लाख रू0 की लागत से ''ग्रीन गोल्ड'' नाम की एक परियोजना स्वीकृत की गई है जिसमें 1361.23 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 127.50 लाख रू0 ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों को विकसित किया जा रहा है।

1. कल्टीवेशन ऑफ मैडिसिनल प्लान्टस, फूल तथा औरकिड्स
2. गैर मौसमी सब्जी उत्पादन
3. मशरूम उत्पादन
4. इम्प्रूव्ड डेरी मैनेजमैंट

अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला चम्बा को 1281.005 लाख रू0 उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसमें से मार्च, 2011 तक मु0 1005.72 लाख रू0 कल्टीवेशन ऑफ मैडिसिनल प्लान्टस, फूल तथा औरकिड्स, गैर मौसमी सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, इम्प्रूव्ड डेरी मैनेजमैंट के तहत व्यय किये जा चुके हैं। अभी तक 6 नर्सरियां स्थापित की गई है। बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन हेतु 200 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मशरूम उत्पादन के अन्तर्गत 550 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया गया है। इम्प्रूव्ड डेरी मैनेजमैंट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेनिंगों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और 339 स्वयं सहायता समूहों को चारा बीज भी प्रदान किए जा चुके हैं।

(झ) <u>इन्टैन्सिव डेयरी डवैल्पमैंट (जिला कांगड़ा)</u>

भारत सरकार द्वारा जिला कांगड़ा के लिए 1301.25 लाख रू0 की लागत से इन्टैन्सिव डेयरी डवैल्पमैंट'' नाम की एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 1151.40 लाख रू0 अनुदान के रूप में तथा 149.85 लाख रू0 ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। अनुदान की राशि का भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से वहन किया जाता है। इस परियोजना के अधीन डेयरी डवैल्पमैंट की गतिविधियों को बढ़वा दिया जा रहा है । अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 921.12 लाख रू0

(मु0 690.84 लाख रू0 केन्द्र का भाग तथा मु0 230.28 लाख रू0 राज्य का भाग) निर्मुक्त किये गये हैं, जिसमें से मार्च, 2011 तक मु0 751.85 लाख रू0 व्यय किये जा चुके है।

(ञ) <u>कल्टीवेषन, वेल्यू एडिषन प्रासेसिंग, मार्केटिंग आफ मैडिसीनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्टस</u> (राज्य विषेष)

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयतीं ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विषेष परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेष में ''कल्टीवेषन, वेल्यू एडिषन, प्रासेसिंग मार्केटिंग आफ मैडिसीनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्टस '' नाम की एक परियोजना स्वीकृत की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

स्वीकृति की तिथि	25.09.2006
परियोजना अवधि	5 वर्ष
कुल लागत	मु0 1448.35 लाख रू0
केन्द्रीय भाग	मु0 1086.25 लाख रू0
राज्य भाग	मु0 362.10 लाख रू0
<u>निर्मुक्त धन राषि</u>	
केन्द्रीय भाग	मु0 225.46 लाख रू0
राज्य भाग	मु0 75.15 लाख रू0
प्रस्तावित लाभार्थी	18750

वर्तमान में यह परियोजना 24 विकास खण्डों मषोबरा, रामपुर, चिड़गांव, पांवटा, पच्छाद, बंजार, कुल्लू , कल्पा, पूह, अम्ब, सोलन, राजगढ़, घुमारवीं, बिलासपुर सदर, बमसन, बिझड़ी, बैजनाथ, पंचरूखी, फतेहपुर, काजा, केलांग, तीसा, भरमौर और सलूणी में चलाई जा रही है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के उत्थान हेतु इस परियोजना के अर्न्तगत निम्न औषधीय एवं पुष्प पौधे प्रदान किए जा रहे है।

1. Aconitum.
2. Heterophyllim
3. Atis
4. Geranium
5. Tinospora Cordifolla
6. Rose marinus
7. Lavender
8. Glycirrhiza glabra

31–3–2011 तक कुल व्यय **मु0 167.15 लाख रू0**

परियोजना के अन्तर्गत 3873 किसानों को उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत 9.22 लाख पौधे वितरित किए गए हैं। 1494 पॉलीहाउस स्थापित किये गये हैं तथा 5023 किसानों को 101 प्रषिक्षण कैम्पों के माध्यम से प्रषिक्षण दिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत 1477

किसानों को 14.77 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किये गये है। परियोजना के अन्तर्गत अब तक 4181 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।

(ट) हिमकाॅन द्वारा तैयार की गई कौषल विकास (Skill Development) परियोजना।

कुल परियोजना लागत	117.00 लाख रूपये
परियोजना अवधि	2 वर्ष
लक्ष्ति समूह	1700 ग्रामीण बी0पी0एल0 युवक
केन्द्र व राज्य सरकार की भागीदारी	75:25
चिन्हित व्यवसाय	:Pharmaceutical, Textile, Heavy Engineering, Light Engineering, Tourism and Hydropower
रोजगार गारण्टी	75 प्रतिषत

परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किष्त के रूप में 21.94 लाख रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा 7.31 लाख रूपये निर्मुक्त करवाये जा चुके हैं। वर्तमान में इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 29.253 लाख रूपये उपलब्ध है। योजना के अन्तर्गत कुल 435 युवाओं को नामांकित किया गया है जिनमें से 300 युवाओं को प्रषिक्षण प्रदान करवाया गया और 297 युवाओं को रोजगार भी प्रदान करवाया जा चुका है।

ठ) **हमीरपुर जिला के लिए आई0टी0एफ0टी0 षिक्षा समूह द्वारा तैयार की गई कौषल विकास (Skill Development) परियोजनाः**

कुल परियोजना लागत	226.68 लाख रूपये
परियोजना अवधि	एक वर्ष
केन्द्र भाग 75 प्रतिषत	170.01 लाख रूपये
आई0टी0एफ0टी0 भाग 25 प्रतिषत	57.67 लाख रूपये
लक्षित समूह	2000 ग्रामीण बी0पी0एल0 युवक
चिन्हित व्यवसाय	संचार, कम्पयूटर, उपभोक्ता सेवा, फ्रट औफिस प्रबन्धन, हास्पीलिटी, होटल मैनेजमैंट, ब्यूटी एवं हैल्थ मैन्यूफैक्चरिंग, आईटीईएस/बीपीओ।

परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 42.50 लाख रूपये प्रथम किष्त के रूप में निर्मुक्त किये जा चुके है। परियोजना के अन्तर्गत कुल 552 युवाओं को नामांकित किया गया है तथा प्रषिक्षण प्रदान करवाया गया और 499 युवाओं को रोजगार भी प्रदान करवाया जा चुका है।

(ड) रूरल हाट (**Rural Haat**) परियाजना (राज्य विषेष)

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के ग्रामीण दस्तकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु उचित विपणन सुविधा के सृजन के उद्धेष्य से भारत सरकार ने गांव, जिला एंव राज्य स्तर पर हाट निर्माण हेतु परियोजना स्वीकृत की है।

हाटस की लागत निम्न प्रकार से हैः—

गांव हाट	:	15.00 लाख
जिला हाट	:	150.00 लाख
राज्य हाट	:	300.00 लाख

गांव हाट :—

प्रत्येक जिला में 3 गांव हाट और एक जिला हाट का निर्माण करना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने 36 गांव हाट के लिए मु0 16.875 लाख रू0 प्रति हाट के रुप में कुल 202.50 लाख रू0 निर्मुक्त कर दिए हैं। राज्य सरकार ने भी राज्य हिस्से की राषि मु0 5.625 लाख रू0 प्रति हाट के रुप में कुल 67.50 लाख रू0 निर्मुक्त कर दिए हैं। समस्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेष ने निर्माण स्थलों का चयन कर लिया है और निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

जिला हाट :—

जिला हाट के निमार्ण हेतु प्रस्तावनाएं जिला किन्नौर, मण्डी, षिमला और सोलन की भारत सरकार अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। भारत सरकार से अनुमोदन सूचना प्राप्त होनी शेष है।

राज्य हाट :—

भूमि चयन कर प्रक्रिय प्रगति पर है।

4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया गया तथा 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया। प्रदेष में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्डी तथा जिला कांगड़ा में लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को लागू कर दिया गया है।

मुख्य लक्ष्य :–

इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को प्रत्येक ऐसे परिवारों को जिसके व्यस्क सदस्य अकुषल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

2. योग्यता :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत परिवार मजदूरी प्राप्त करने का हकदार हैं। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। 100 दिनों का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में परिवार के बीच में बांटा जा सकता है।

सभी व्यस्क सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए वह :–

क ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

ख स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो।

ग स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।

3. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र और जॉब कार्ड जारी करना :–

पंजीकरण के आवेदन पत्र सादे कागज पर भी दिया जा सकता है और निर्धारित प्रपत्र पर भी जो कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है और पंजीकरण मौखिक रूप से भी करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र में उन सभी व्यस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं जिसमें आयु, वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का विवरण भी दिया गया हो। छानबीन के उपरान्त सभी विवरणों को पंजीकरण रजिस्टर में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक परिवार को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जाता है। आवेदन पत्र के पंजीकृत होने के 15 दिन के भीतर – भीतर जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। आवेदनकर्त्ता जो व्यस्क हैं, उनका फोटो जॉब कार्ड में लगाया जाता है। जॉब कार्ड पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। जॉब कार्ड तथा फोटो का व्यय योजना के तहत वहन किया जाता है।

4. कार्य के लिए आवेदन और रोजगार आबंटित करना :–

कार्य के लिए आवेदन ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्य के लिए आवेदन लिखित रूप में करना होगा और इसकी प्राप्ति दिनांक सहित आवेदक को आवष्यक रूप से देनी होगी। आवेदन पत्र कम से कम 14 दिनों के लिए लगातार कार्य के लिए होगा। आवेदनकर्ता, जिसे कार्य प्रदान किया जाता है, उसे पत्र के द्वारा, जो उसने जॉब कार्ड पर अपना पता दिया है, पर सूचित किया जा सकता है और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सूचना पट्ट पर दर्षाया जा सकता है। आवेदनकर्ता को आवेदन प्राप्ति के दिनांक के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है।

5. स्वीकार्य कार्यः–

योजना का उद्‌देष्य अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्य किए जा सकते है :–

(क) जल संरक्षण एवं जल संचय ।

(ख) सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण व वन सरक्षण।

(ग) सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लधु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों या गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभार्थियों की निजी भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास सुविधा के कार्यों का प्रावधान है । भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यों के लाभ प्राप्त करने हेतु सीमांत तथा लघु किसानों को भी षामिल किया गया है।

(ङ) परंपरागत जल स्त्रोतों के पूनर्नवीकरण हेतु जलाष्यों के गाद की निकासी।

(च) भूमि विकास कार्य।

(छ) बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।

(ज) सभी ऋतुओं में गांवों को एक दूसरे के साथ जोडे रखने हेतु रास्तों का प्रावधान।

(झ) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण।

(ञ) अन्य कार्य जो कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से अधिसूचित किये जाएगें।

6. निधियो की भागीदारीः–

निम्नलिखित का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट से किया जाएगाः–

क अकुशल श्रमिको की दिहाड़ी।

ख 75 प्रतिशत राशि का व्यय जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।

ग प्रशासनिक खर्चा।

निम्नलिखित का भुगतान प्रदेष सरकार द्वारा किया जाएगाः–

क 25 प्रतिशत राशि जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।

ख बेरोज़गारी भत्ता

ग राज्य रोजगार गारंटी कौंसिल का प्रशासनिक खर्चा।

7. मजदूरी का भुगतानः–

क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना के अधीन कार्य कर रहा है न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा जिसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

ख) पुरूष एवं स्त्री कामगारों को समान वेतन मजदूरी दी जाएगी।

ग) कामगार काम के दिन से साप्ताहिक तौर पर और अधिकतम 15 दिन के भीतर रोजगार पाने के हकदार होगें।

घ) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी उन द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप दी जाती है जो कि दर अनुसूची पर आधारित है।

8. बेरोजगारी भत्ते का भुगतानः–

1 इस योजना के तहत यदि आवेदक को आवेदन की मांग प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या जिस तारीख से रोजगार के लिए आवेदन किया हो, रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो आवेदक को दैनिक मजदूरी का एक चौथाई हिस्सा बेरोजगारी भते के रुप में एक माह तक प्रदान किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि को बेरोजगारी भत्ते दैनिक मजदूरी का आधा प्रदान किया जाएगा।

2 बेराजगारी भत्ते का तुरन्त भुगतान सुनिष्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह वेतन का भुगतान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस तारीख के बाद 15 दिन

से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए जिस दिन से सम्बन्धित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है।

3 राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भता देने के लिए बाध्य नहीं होगी यदि :–

अ) आवेदक को ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी ने काम के लिए निर्दिष्ट किया हो।

ब) जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया हो वह समाप्त हो गई हो और परिवार के किसी सदस्य को रोजगार के लिए आवेदन न किया हो।

स) आवेदक के परिवार में से व्यस्क सदस्य ने 100 दिनों का कार्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान कर लिया हो।

द यदि आवेदक ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के कार्य के बराबर मजदूरी रोजगार प्राप्त कर लिया हो।

9. कार्य योजना को तैयार करना:–

ग्राम सभा योजना के अधीन लिए गये कार्यो की सिफारिष करेगी जिनको ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित किया जाएगा और जिन्हे खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी को खण्ड कार्यक्रम अधिकारी का पदनाम दिया गया है। खण्ड कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रस्तावों और कार्यो की, जिन्हे पंचायत समिति द्वारा खण्ड योजना में संकलित किया है, पचांयत समिति के अनुमोदन के उपरान्त इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को प्रेषित करता है। उपायुक्त को जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) का पदनाम दिया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) प्रस्तावों को एकत्रित करके इसे जिला परिषद से अनुमोदित करवाते हैं। जिला परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रषासनिक व वित्तीय स्वीकृती प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिषत कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेष राज्य रोजगार गारंटी फंड के खाता में वर्ष 2010–11 की प्राप्तियों व अदायगियों का ब्यौरा

(राषि लाखों में)

प्राप्तियां	धनराषि	अदायगी		धनराषि
आरम्भिक शेष	**48,47,371**	जिला का नाम	(अग्रिम राषि)	
केन्द्रीय ह्रिस्सा	**656,18,08,000**	चम्बा	**71,24,03,600**	
राज्य हिस्सा	**56,10,68,562**	सिरमौर	**40,01,26,600**	
विविध प्राप्तियां (interest income)	**99,73,570**	कांगडा	**141,53,66,700**	
		मण्डी	**161,72,00,000**	
		बिलासपुर	**19,06,66,700**	
		हमीरपुर	**29,43,33,300**	
		कुल्लू	**40,92,22,200**	
		किन्नौर	**4,69,71,800**	
		लाहौल एवं स्पिति	**2,52,79,162**	
		षिमला	**39,98,55,600**	
		सोलन	**37,25,55,600**	
		ऊना	**27,27,77,800**	
		योग		**615,67,59,062**
		अन्तिम शेष		**98,09,38,441**
कुल योग	**713,76,97,503**			**713,76,97,503**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 की प्रगति

(रू0 लाखों में)

		चम्बा	सिरमौर	कांगडा	मण्डी	बिलासपुर	हमीरपुर	किन्नौर	कुल्लू	ला0 एवं स्पिति	शिमला	सोलन	ऊना	योग
1	परिवारों की संख्या जिन्हें जॉब कार्ड जारी किये	93543	68048	225623	192486	51187	74282	12761	81084	5345	105112	72423	68055	1049949
2	रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या	52975	31103	106787	114956	11634	20245	4951	29257	3706	34403	19702	16730	446449
3	परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया	52975	30929	106272	114299	11634	20024	4918	29257	3706	33395	19702	16730	443841
4	अर्जित कार्य दिवस (लाखों मे)	29.98	16.72	53.63	52.36	4.88	9.86	2.17	13.04	1.48	13.40	11.28	10.26	219.06
5	अनुसूचित जाति / जन–जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस	15.77	7.12	17.35	20.76	1.54	3.99	2.17	4.63	1.48	4.64	4.96	5.44	89.85
6	अनुसूचित जाति / जन–जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस की प्रतिषतता	53	43	32	40	32	40	100	36	100	35	44	53	41
7	महिलाओं द्वारा अर्जित कार्यदिवस	9.81	2.13	27.09	34.56	2.49	6.58	1.32	5.50	0.86	6.21	4.35	5	105.90
8	महिलाओं द्वारा अर्जित कार्यदिवस और प्रतिषतता	33	13	51	66	51	67	61	42	58	48	39	49	48
9	100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	2540	2189	4257	4108	629	1650	140	708	65	1231	1510	2887	21914
10	अर्जित औसत कार्यदिवस प्रति परिवार	57	54	50	46	42	49	44	45	40	40	57	61	49
11	कुल कार्यों की संख्या	8517	6457	14369	11295	2150	3879	536	3810	284	4445	3056	2533	61331
12	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	5288	3805	7120	5030	1390	2060	314	2452	122	2593	1898	1615	33687
13	प्रगति पर कार्यों की संख्या	3229	2652	7249	6265	760	1819	222	1358	162	1852	1158	918	27644
14	निर्मुक्त धनराषि (रू0 लाखों मे)													
15	गत शेष (रू0 लाखों मे)	3006.91	437.87	2779.47	2201.15	196.71	318.05	97.24	86.99	97.74	529.13	259.08	253.59	10263.93
16	गत वर्ष में जारी राषि जो इस वर्ष प्राप्त हुई (रू0 लाखों मे)	--	--	-	-	--	--	35.00	--	-	--	--	--	35.00
17	केन्द्र तथा राज्य हिस्सा (रू0 लाखों मे)	7124.04	4001.27	14153.67	16172.00	1906.67	2943.33	469.72	4092.22	252.79	3998.56	3752.56	2727.78	61567.59
18	विविध प्राप्तियां (रू0 लाखों मे)	11.25	92.02	56.60	28.61	1.52	27.49	9.25	79.33	11.65	24.71	0.97	0.00	343.40
19	कुल उपलब्ध राषि (रू0 लाखों मे)	10142.20	4531.16	16989.74	18401.76	2104.90	3288.87	611.21	4258.54	362.18	4552.40	3985.61	2981.37	72209.92
20	मजदूरी पर व्यय (रू0 लाखों मे)	4037.31	1954.38	6103.35	7141.81	588.22	1103.04	292.39	1608.60	184.37	1919.57	1540.84	1139.92	27613.80
21	सामग्री पर व्यय (कुषल मजदूरी सहित	2666.13	1478.86	4365.21	5600.76	453.27	950.12	138.50	896.02	53.51	1211.47	1374.20	666.22	19854.27
22	प्रशासनिक व्यय (रू0 लाखों मे)	262.05	144.06	493.48	754.48	68.31	99.49	15.17	166.06	24.26	160.07	163.79	104.83	2456.05
23	कुल व्यय (रू0 लाखों मे)	6965.49	3577.30	10962.04	13497.05	1109.80	2152.65	446 .06	2670.68	262.14	3291.11	3078.83	1910.97	49924.12
24	प्रतिषतता कुल उपलब्ध धनराषि	69	79	65	73	53	65	73	63	72	72	77	64	69
25	मजदूरी गैर मजदूरी अनुपात	60:40	57:43	58:42	54:46	56:44	54:46	68:32	64:36	77:23	61:39	53:47	63:37	58:42
26	खोले गए कुल बचत खातो की संख्या													
	बैक	58215	38068	329907	148498	15939	27529	5690	39154	4619	50452	30234	25349	773654
	डाकघर	9472	1059	15901	17612	1851	2652	785	1828	1079	5326	399	1296	59260
	कुल	67687	39127	345808	166110	17790	30181	6475	40982	5698	55778	30633	26645	832914

5. इन्दिरा आवास योजनाः–

इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गृहहीन व्यक्तियों के लिए नये घरों के निर्माण के लिए 48,500/– रू0 प्रति लाभार्थी सहायता राशि प्रदान की जाती है । यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही है। इन्दिरा आवास योजना के अन्र्तगत लक्ष्य एवं निधियों का आबंटन निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कुल आबंटन का 60 प्रतिषत
2. अन्य — कुल आबंटन का 40 प्रतिषत
3. अल्पसंख्यक — अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य में से 15 प्रतिषत
4. अपंग — अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य में से 3 प्रतिषत

वर्ष 2010–11 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से हैः–

(नये मकानों का निर्माण)

क्र0 सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	व्यय (राशि लाख रू0 में)
1.	बिलासपुर	246	212	119.675
2.	चम्बा	604	660	323.006
3.	हमीरपूर	278	278	138.118
4.	कांगड़ा	1272	1362	663.368
5.	किन्नौर	143	131	77.67
6.	कुल्लू	317	317	153.745
7.	लाहौल–स्पिति	107	211	47.10
8.	मण्डी	772	584	388.77
9.	शिमला	475	436	238.36
10.	सिरमौर	434	518	236.087
11.	सोलन	541	540	262.335
12.	ऊना	604	675	330.778
	कुल योग	**5793**	**5924**	**2979.01**

नोटः—

उपरोक्त 5793 मकानों के लक्ष्य के अतिरिक्त गत वर्ष 2009—10 के जो 568 मकान निर्माणाधीन थे, में से निर्मित मकान भी उपलब्धियों में सम्मिलित है।

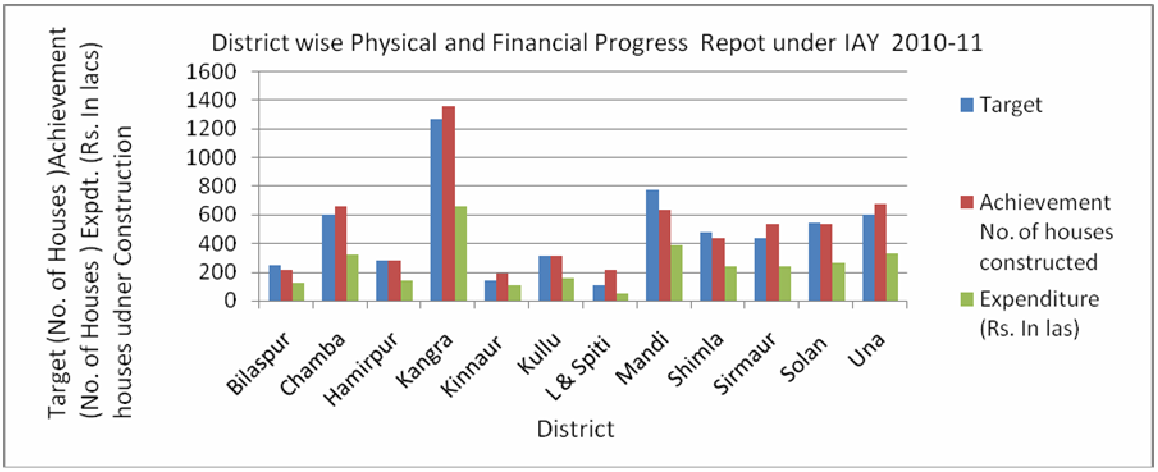

6. <u>अटल आवास योजनाः—</u>

यह योजना राज्य आवासीय योजना है, जोकि इन्दिरा आवास योजना की पद्धती पर चलाई जा रही है।

<u>वर्ष 2010—11 में इस योजना के अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से हैः—</u>

(नये मकानों का निर्माण)

क्र0सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	निर्मित मकान	व्यय (राशि लाख रू0 में)	निर्माणाधीन मकान
1.	बिलासपुर	195	195	97.26	23
2.	चम्बा	355	398	209.886	195
3.	हमीरपूर	296	316	143.56	0
4.	कांगड़ा	982	1055	477.019	2
5.	किन्नौर	29	80	26.19	48
6.	कुल्लू	264	264	128.04	0
7.	लाहौल—स्पिति	66	82	29.47	48
8.	मण्डी	611	649	290.76	88
9.	शिमला	469	539	240.86	0
10.	सिरमौर	294	322	148.185	28
11.	सोलन	273	273	132.405	0
12.	ऊना	304	304	147.595	25
	कुल योग	**4138**	**4477**	**2071.23**	**457**

नोटः–

उपरोक्त 4138 मकानों के लक्ष्य के अतिरिक्त गत वर्ष 2010–11 के जो 457 मकान निर्माणाधीन थे में से निर्मित मकान भी उपलब्धियों में सम्मिलित है।

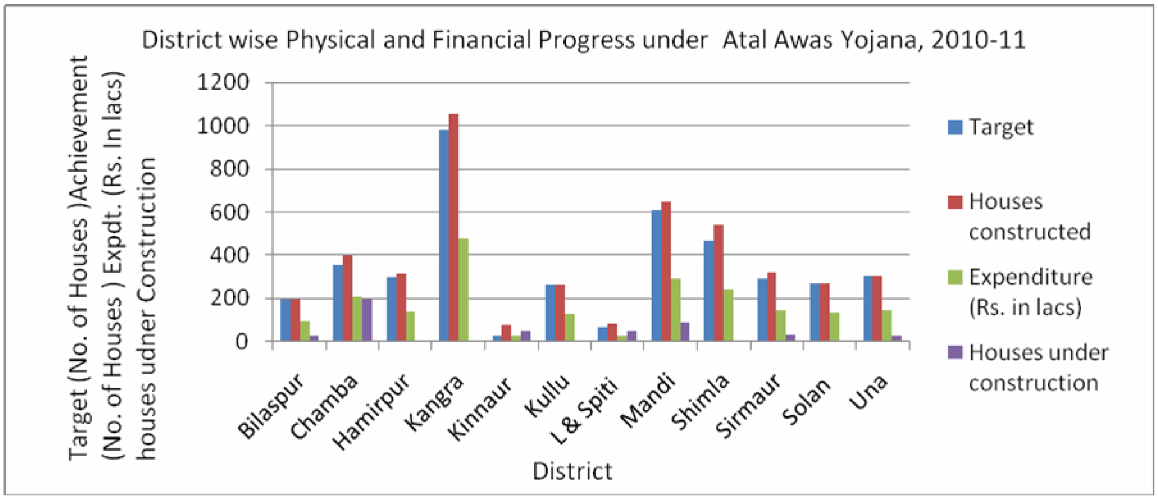

7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में आजीविका कमाने वाले की मृत्यु होने की दशा में 10,000/–रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2010–11 में इस योजना के अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	जिला का नाम	परिवार लाभान्वित	धनराशि वितरित की गई(लाखों में)
1.	बिलासपुर	114	11.40
2.	चम्बा	253	25.30
3.	हमीरपूर	126	12.60
4.	कांगड़ा	517	51.70
5.	किन्नौर	19	1.90
6.	कुल्लू	83	8.30
7.	लाहौल–स्पिति	15	1.50
8.	मण्डी	252	25.20
9.	शिमला	239	23.90
10.	सिरमौर	60	6.00
11.	सोलन	111	11.10
12.	ऊना	113	11.30
	कुल योग	**1902**	**190.20**

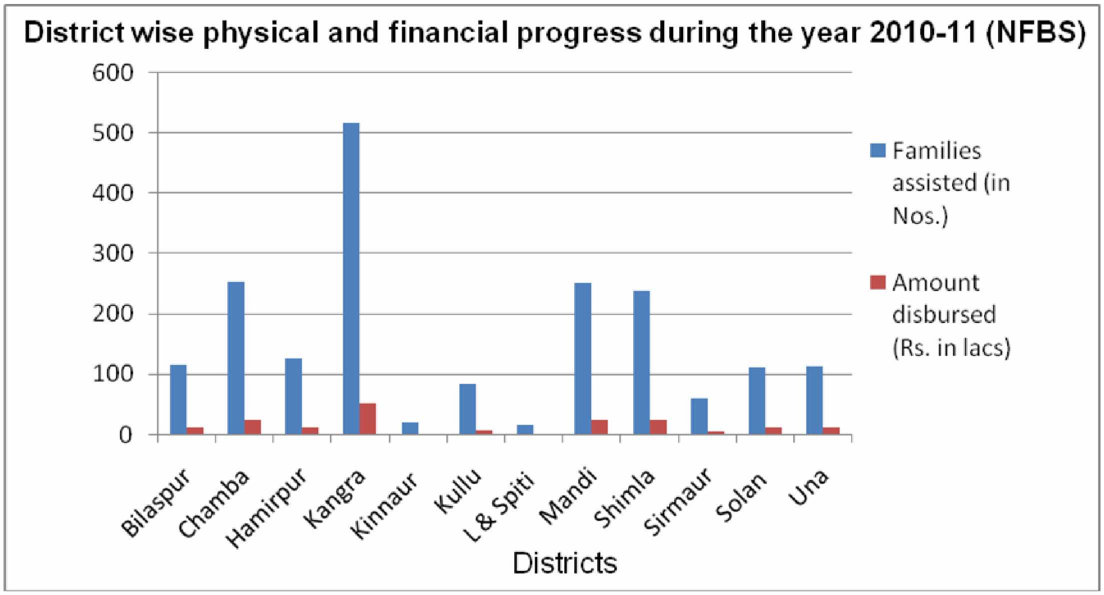

8. मातृ शक्ति बीमा योजना

यह योजना केवल महिलाओं के लिए है इस योजना के अन्र्तगत 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लाभ के लिए पात्र हैं। प्रदेष की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेष सरकार ने मातृ शक्ति बीमा योजना नामक महिला योजना प्रारम्भ की है। इसका बीमा सम्बन्धित पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को मु0 240.00 लाख रू0 निर्मुक्त किए गए जिसमें से 252 मामले निपटाये गए। यह योजना परिवार की बीमागत महिला की मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो की स्थिति में राहत प्रदान करती है।

1. दुर्घटना से
2. किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबन्दी, सिजेरियन, गर्भाष्य, वक्षस्थल निकालने, बषर्ते मृत्यु आप्रेषन के सात दिन के भीतर हुई हो।
3. प्रजनन के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से।
4. डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू–स्खलन , कीटडंक, सर्पदंष, भूचाल, आंधी तूफान से।
5. विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भी लागू है।

वर्ष 2010–11 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की सख्या निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	जिला का नाम	परिवार लाभान्वित	धनराशि वितरित की गई(लाखों में)
1.	बिलासपुर	**24**	**23.00**
2.	चम्बा	**26**	**25.00**
3.	हमीरपूर	**18**	**16.00**
4.	कांगड़ा	**31**	**31.00**
5.	किन्नौर	**7**	**7.00**
6.	कुल्लू	**9**	**9.00**
7.	लाहौल–स्पिति	**0**	**1.00**
8.	मण्डी	**48**	**46.00**
9.	शिमला	**63**	**59.00**
10.	सिरमौर	**17**	**16.00**
11.	सोलन	**4**	**2.00**
12.	ऊना	**5**	**5.00**
कुल योग		**252**	**240.00**

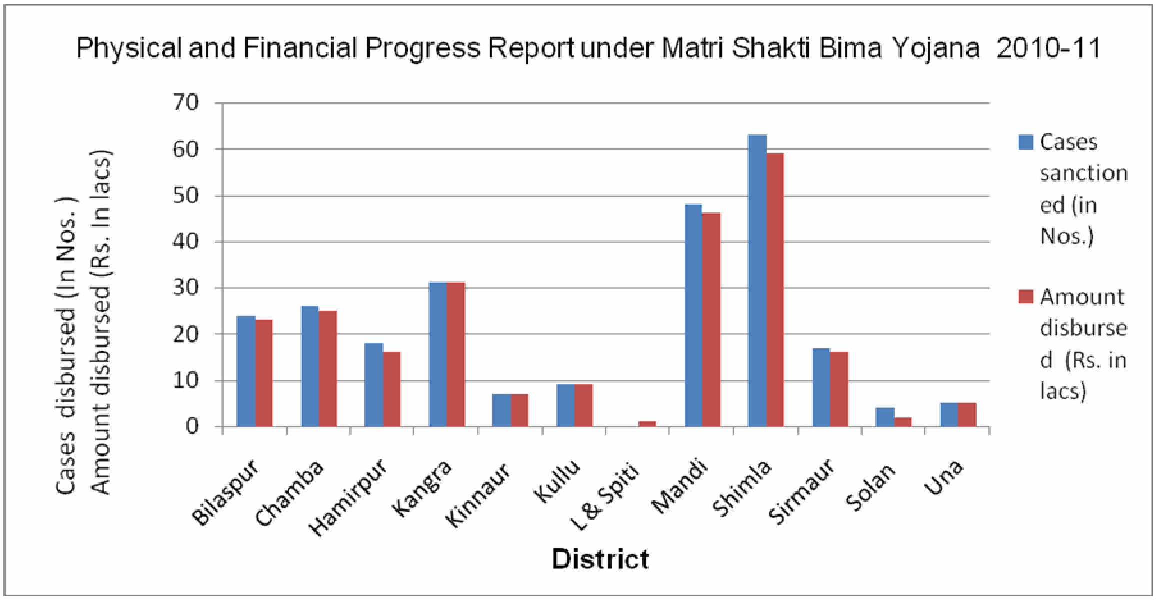

9. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाः—

परती भूमि विकास परियोजना प्रदेष के 9 जिलों में जिला चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, षिमला, सिरमौर, जिला सोलन के विकास खण्ड कण्डाघाट, सोलन, नालागढ़ जिला सोलन तथा जिला किन्नौर के विकास खण्ड कल्पा तथा निचार में वर्ष 1995—96 से जलागम पद्धति के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 67 परियोजनाओं के विपरित 873 सूक्ष्म जलागम कार्यान्वित किये जा रहे हैं । 1.4.2000 तक यह कार्यक्रम शत—प्रतिषत केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा था। 1.4.2000 के उपरान्त नये स्वीकृत जलागम 5500/—रू0 प्रति है0 केन्द्रीय भागीदारी तथा 500 रू0 प्रति है0 राज्य सरकार की भागीदारी से चलाये जा रहे हैं।

वर्ष 2010—11 में निर्मुक्त धनराषि, व्यय तथा उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	वर्ष 2010—11 में निर्मुक्त की गई धनराषि			वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान भौतिक उपलब्धियॉं
		केन्द्रीय भाग	राज्य भाग	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना						
1	चम्बा—2	41.43	0	41.43	19.086	218
2	चम्बा—3	49.810	0	49.810	4.432	25
3	चम्बा—4	201.04	18.72	219.760	173.181	4135
4	चम्बा—5	135.231	12.36	147.591	3.47	25
5	चम्बा—6	78.160	7.50	85.66	43.452	866
6	हमीरपुर—2	0	0	0	0	0
7	हमीरपुर—3	0	0	0	0.91	0
8	हमीरपुर—4	0	0	0	2.300	0
9	हमीरपुर—5	0	0	0	0.090	0
10	हमीरपुर—6	16.960	2.080	19.040	39.03	652
11	हमीरपुर—7	36.31	3.75	40.06	40.660	847.24
12	हमीरपुर—8	35.10	3.38	38.48	53.90	910
13	कांगड़ा—2	0	0	0	0	0
14	कांगड़ा—3	0	0	0	18.988	290
15	कांगड़ा—4	33.271	3.134	36.405	49.15	33
16	कांगड़ा—5	24.305	2.500	26.805	11.884	728.50
17	कांगड़ा—6	0	0	0	24.660	391
18	कांगड़ा—7	32.932	3.750	36.682	27.387	449
19	कांगड़ा—8	40.285	3.750	44.035	57.989	1097.74
20	कांगड़ा—9	0	0	0	13.386	244
21	कांगड़ा—10	0	0	0	28.743	349
22	कांगड़ा—11	0	0	0	30.687	536
23	कांगड़ा—12	42.314	4.071	46.385	14.318	260.50
24	कांगड़ा—13	20.932	2.073	23.005	13.803	132
25	कांगड़ा—14	12.909	3.522	16.431	21.164	379
26	कांगड़ा—15	0	6.440	6.440	49.756	936
27	कांगड़ा—16	0	0	0	32.590	518

28	कांगड़ा–17	0	0	0	39.034	604
29	कांगड़ा–18	68.190	6.504	74.694	20.327	307
30	किन्नौर–1	0	0	0	0	0
31	किन्नौर–2	0	0	0	0.680	10
32	किन्नौर–3	99.940	8.040	107.980	42.150	2418
33	कुल्लू–1	0	0	0	0.420	0
34	कुल्लू– 2	0	0	0	49.250	1268
35	कुल्लू–3	0	0	0	28.880	299
36	कुल्लू– 4	23.200	2.500	25.700	31.800	441
37	कुल्लू– 5	25.660	2.540	28.200	55.010	915
38	मण्डी–1	0	0	0	0	0
39	मण्डी–2	35.593	3.030	38.623	63.510	1075
40	मण्डी–3	79.742	7.590	87.332	73.270	1655
41	मण्डी–4	0	0	0	52.860	713
42	मण्डी–5	0	0	0	60.830	650
43	मण्डी–6	88.860	8.370	97.230	33.790	522
44	मण्डी–7	91.872	8.700	100.572	37.930	676
45	शिमला– 1	0	0	0	0	0
46	शिमला– 2	59.164	6.210	65.374	28.110	583
47	शिमला– 3	90.970	9.00	99.970	6.780	134
48	शिमला– 4	0	0	0	50.110	1043
49	शिमला–5	0	0	0	42.690	881
50	शिमला– 6	0	0	0	52.440	1091
51	शिमला– 7	0	0	0	12.320	246
52	शिमला– 8	0	0	0	27.211	565
53	शिमला– 9	0	0	0	17.790	367
54	सिरमौर– 1	0	0	0	0	0
55	सिरमौर– 2	0	0	0	12.580	24.20
56	सिरमौर– 3	0	0	0	18.960	223.05
57	सिरमौर– 4	0	0	0	14.490	149.84
58	सिरमौर– 5	39.180	3.750	42.930	68.220	2343.36
59	सिरमौर– 6	36.680	3.750	40.430	81.140	2608.50
60	सोलन–2	0	0	0	0	0
61	सोलन–3	0	0	0	16.645	184
62	सोलन–4	0	0	0	10.00	137
63	सोलन–5	0	3.750	3.750	54.311	873
		1540.04	**150.764**	**1690.804**	**1878.554**	**37027.93**

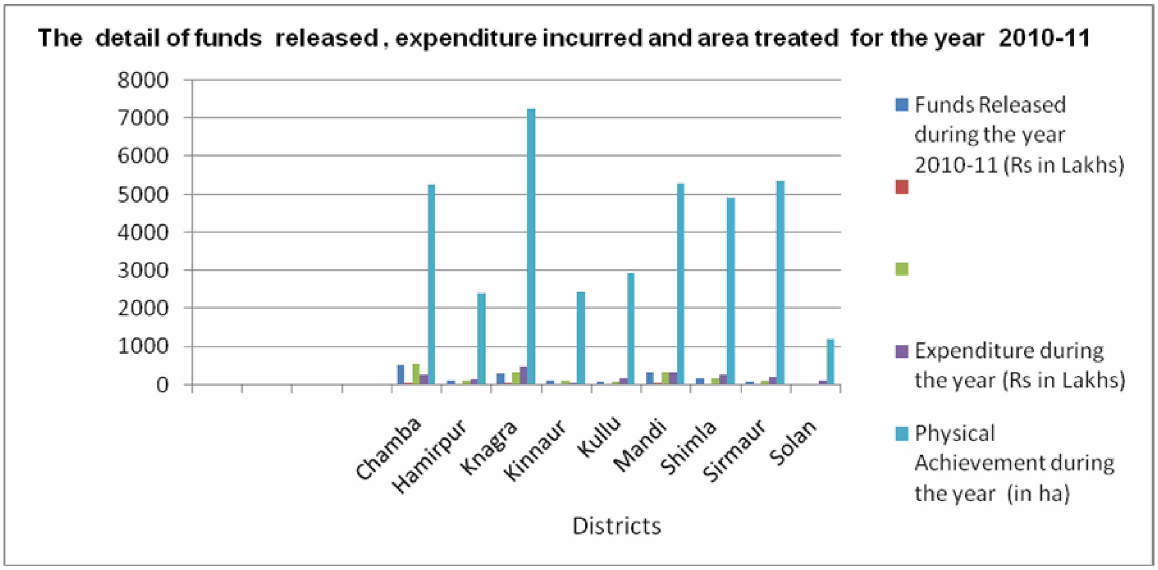

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमः

यह कार्यक्रम प्रदेष के तीन जिलो में वर्ष 1995–96 से जिला बिलासपुर, ऊना तथा जिला सोलन के विकास खण्ड कुनिहार तथा धर्मपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1998–99 तक यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 की वित्तीय भागीदारी से चलाया जा रहा था । लेकिन 1.4.1999 से भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये नये वाटरषैड के लिए वित्तीय भागीदारी 50:50 से बदल कर 75:25 कर दी गई है ।

इस योजना के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 2010–11 में निर्मुक्त धनराषि, व्यय की गई धनराषि तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0स0	परियोजना का नाम	वर्ष 2010–11 के दौरान निर्मुक्त धनराषि			व्यय	भौतिक उपलब्धि
		Centre	State	Total		
1	2	3	4	5	6	7
सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम						
1.	बिलासपुर पॉचवा चरण	0	0	0	2.033	1
2.	बिलासपुर छठा चरण	136.994	5.302	142.296	46.818	669
3.	बिलासपुर सातवॉ चरण	106.969	26.657	133.626	4.544	63
4.	बिलासपुर आठवॉ चरण	81.599	27.199	108.798	18.049	242
5.	बिलासपुर हरियाली प्रथम	0	0	0	3.284	36
6.	बिलासपुर हरियाली द्वतीय	77.727	0	77.727	4.399	55
7.	बिलासपुर हरियाली तृतीय	89.672	0	89.672	0.821	0
8.	बिलासपुर हरियाली चतुर्थ	89.884	0	89.884	29.940	472
9.	सोलन प्रथम चरण	0	0	0	0	0
10.	सोलन द्वितीय चरण	0	0	0	0	0
11.	सोलन पाचवॉ चरण	0	0	0	0	0
12.	सोलन छठा चरण	66.187	22.063	88.25	10.271	156
13.	सोलन सातवॉ चरण	16.852	5.617	22.469	25.680	335
14.	सोलन आठवॉ चरण	55.168	18.389	73.557	18.757	261
15.	सोलन हरियाली प्रथम	42.232	14.08	56.312	16.275	255

16.	सोलन हरियाली द्वतीय	0	17.719	17.719	72.256	1186
17.	सोलन हरियाली तृतीय	0	22.046	22.046	88.930	1554
18.	सोलन हरियाली चतुर्थ	0	0	0	44.656	798
19.	ऊना छठा चरण	219.28	73.09	292.37	21.289	149
20.	ऊना सातवॉं चरण	133.30	44.43	177.73	95.690	1748
21.	ऊना आठवॉं चरण	163.90	54.63	218.53	125.040	2259
22.	ऊना हरियाली प्रथम	103.39	34.46	137.85	67.950	1044
23.	ऊना हरियाली द्वतीय	127.45	42.48	169.93	42.450	637
24.	ऊना हरियाली तृतीय	142.45	47.48	189.93	27.360	464
25.	ऊना हरियाली चतुर्थ	150.27	50.09	200.36	27.355	412
		1803.324	**505.732**	**2309.056**	**793.847**	**12796**

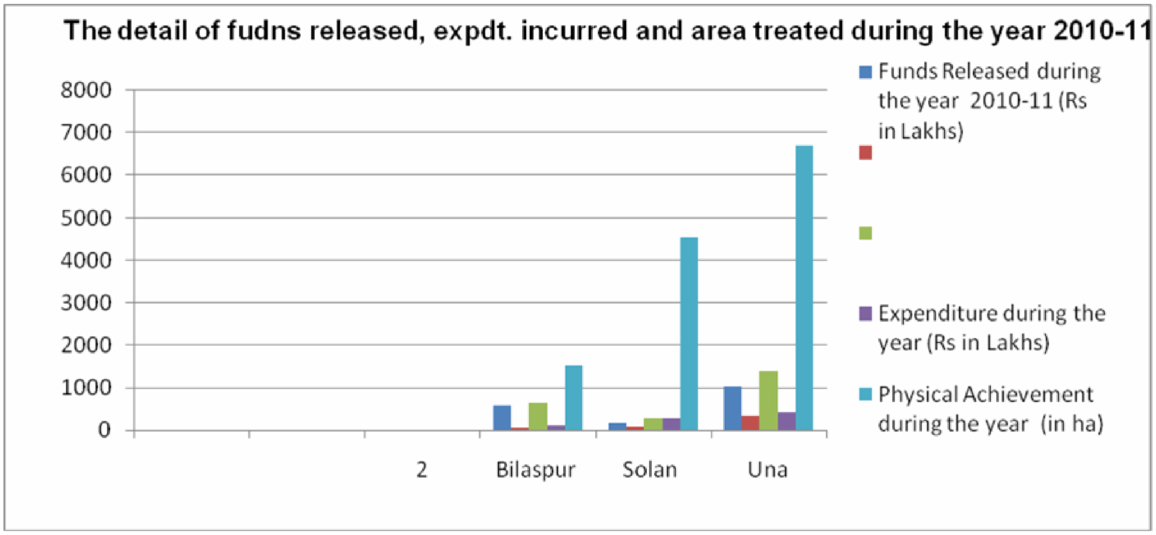

मरूस्थल विकास कार्यक्रमः

मरूस्थल विकास कार्यक्रम प्रदेष के जिला लाहौल स्पिति तथा जिला किन्नौर के विकास खण्ड पूह में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 552 सूक्ष्म जलागम परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2010–11 में निर्मुक्त धनराषि, व्यय तथा उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 स0	परियोजना का नाम	निर्मुक्त की ग्रई धनराषि			व्यय	भौतिक उपलब्धियां
		Centre	**State**	**Total**		
1	2	3	4	5	6	7
मरूस्थल विकास परियोजनाः						
1.	लाहौल स्पिति पांचवा चरण	102.19	0	102.19	20.500	146.96
2.	लाहौल स्पिति छटा चरण	224.63	0	224.63	40.540	397.57
3.	लाहौल स्पिति सातवां चरण	0	0	0	95.630	697.84
4.	लाहौल स्पिति आठवां चरण	0	0	0	42.240	303.38
5.	लाहौल स्पिति हरियाली–1 टांडी	0	0	0	0	0
6.	लाहौल स्पिति हरियाली–1	0	0	0	11.570	92.46
7.	लाहौल स्पिति हरियाली–2	150.26	51.75	202.01	12.920	102.04
8.	लाहौल स्पिति हरियाली–3	175.37	60.53	235.90	38.780	453.45
9.	लाहौल स्पिति हरियाली–4	0	0	0	11.390	6.20

10.	किन्नौर छटा चरण	71.17	0	71.17	3.830	0
11.	किन्नौर सातवां चरण	230.20	12.00	242.20	0	0
12.	किन्नौर आठवां चरण	198.48	55.00	253.48	61.530	942
13.	किन्नौर हरियाली–1	96	0	96.00	0	0
14.	किन्नौर हरियाली–2	0	0	0	33.350	452
15.	किन्नौर हरियाली–3	125.08	0	125.08	1.890	0
16.	किन्नौर हरियाली–4	0	0	0	15.400	255
		1373.38	**179.28**	**1552.66**	**389.57**	**3848.90**

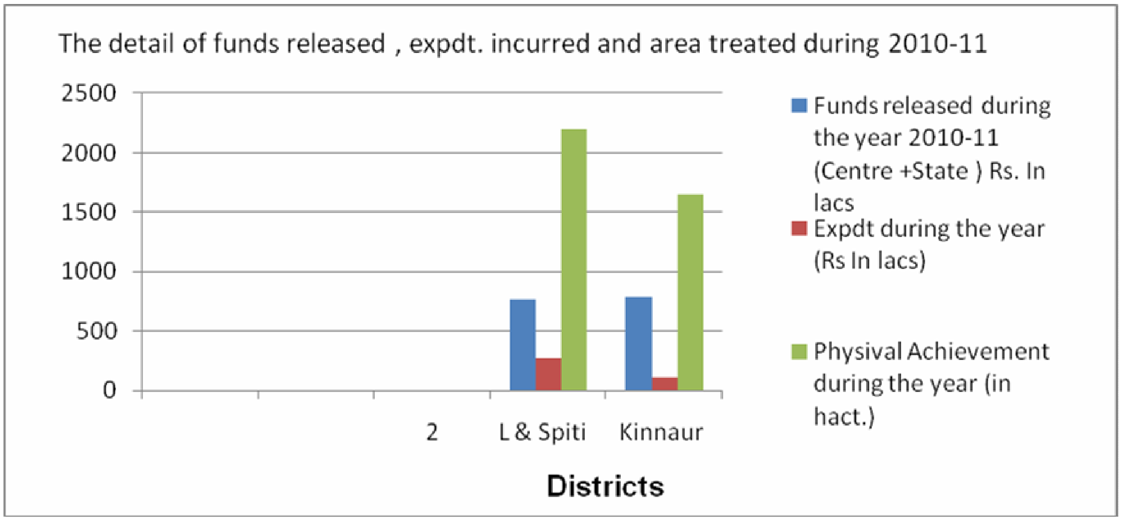

एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रमः

भारत सरकार द्वारा 1–04–2008 से नये दिषा निर्देष ''वाटरषैड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्षी सिद्धांत '' के नाम से जारी किए गए हैं जिसके आधार पर वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा मु0 305.75 करोड़ रू0 की 203832 है0 क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित प्रदेष के सभी जिलों में 36 नई परियोजनएं स्वीकृत की गई है तथा वर्ष 2010–11 में 44 नई परियोजनाएं प्रदेष के समस्त जिलों हेतु मु0 356.47 करोड़ रू0 की 237650 है0 क्षेत्र के विकास हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं हेतु पूर्व में चल रही परियोजनाओं के विपरित मु0 6000/– रू0 से बढ़ाकर 15000/– रू0 प्रति हैक्टेयर स्वीकृत है। परियोजना के कार्यन्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य भागीदारी क्रमषः 90:10 स्वीकृत है। वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रथम किष्त की बकाया 14 प्रतिषत धनराषि मु0 38.52 करोड़ रू0 समस्त जिलों के परियोजना के विपरित निर्मुक्त की गई है जिसके विपरित राज्य भाग की धनराषि मु0 4.04 करोड़ रू0 समस्त जिलों को सिवाये जिला किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति को निर्मुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में स्वीकृत परियोजना की प्रथम किष्त की 6 प्रतिषत धनराषि मु0 19.24 करोड़ रू0 समस्त जिलों को निर्मुक्त की गई है जिसके विपरित राज्य भाग की धनराषि निर्मुक्त की जा रही है।

10. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सम्पूर्ण स्वच्छ बनाने के उद्देष्य से राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्यन्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है ! स्वच्छता को प्रभावी और स्थाई तौर पर बनाए रखने हेतु राज्य के लिए एक नई स्वच्छता नीति अनुमोदित की गई है जिसका मुख्य उद्देष्य सम्पूर्ण स्वच्छता की धारणा का परिचय मांग–पूरक, निष्कर्ष–आधारित दृष्टिकोण,स्वच्छता के प्रति व्यक्तिगत रूप में व समुदाय में जागरूकता पैदा करना,समुदाय के स्वामित्व की संलिप्तता का, देय सेवाओं को बनाए रखने के लिए स्थानीय निकाय की जिम्मेवारी ,सेवाएं लेने के लिए उचित संस्थानों को चिन्हित करना, एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 सहित सहभागिता और निष्कर्ष व सफलताओं को निष्चित करने तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर बल देने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय को सम्बोधित करना है ! नई स्वच्छता नीति का एक मुख्य घटक पुरस्कार योजनाएं हैं जो स्वच्छता अभियान में सभी समुदाय की सम्पूर्ण भागीदारी सुनिष्चित करती हैं ! इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2010–11 की जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से है:–

भौतिक प्रगति 4/2010 से 3/2011

क0सं0	जिला	पारिवारिक षौचालय बीपीएल	पारिवारिक षौचालय एपीएल	पारिवारिक षौचालय कुल	षौचालय परिसर	स्कूल षौचालय	आंगनवाड़ी षौचालय	ठोस तरल कचरा प्रबन्धन	कुल स्कूल कवर्ड
1	बिलासपुर	1000	3385	4385	22	249	134	0	147
2	चम्बा	31610	18910	50520	39	615	53	0	533
3	हमीरपुर	0	0	0	9	154	10	68	60
4	कांगड़ा	14073	87073	101146	3	760	2103	1	760
5	किन्नौर	0	0	0	12	0	7	0	0
6	कुल्लु	381	0	381	15	498	445	6	329
7	लाहौल स्पिति	472	195	667	0	30	0	0	30
8	मण्डी	0	2687	2687	54	1017	31	0	374
9	षिमला	2663	3668	6331	16	657	118	0	434
10	सिरमौर	4441	24061	28502	5	1204	205	75	738
11	सोलन	2968	7770	10738	118	663	784	0	663
12	ऊना	240	10974	11214	17	582	510	0	604
	योग	**57848**	**158723**	**216571**	**310**	**6429**	**4400**	**150**	**4672**

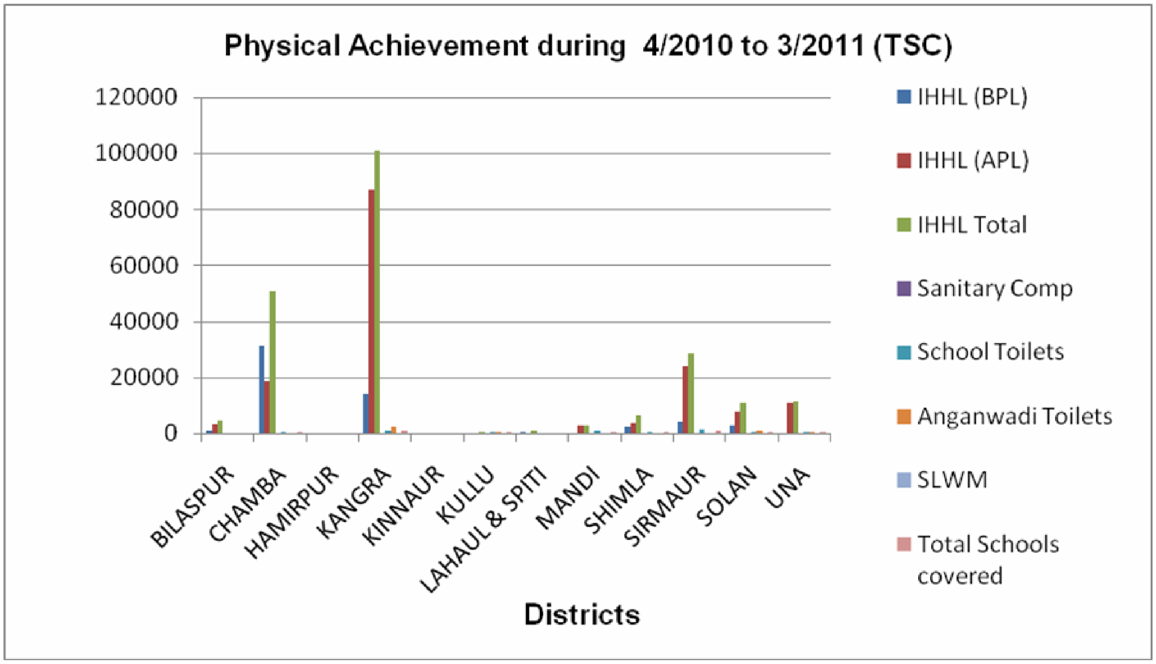

घटक–वार 4/2010 से 3/2011 तक का व्यय

(रू0 लाख में)

क0सं0	जिला	पारिवारिक षौचालय	षौचालय परिसर	स्कूल षौचालय	आंगनवाड़ी षौचालय	स्टार्ट अप	प्रशासनिक	आई0ई0सी0
		Exp	Exp	Exp	Exp	Exp	Exp	Exp
1	बिलासपुर	0.00	50.21	47.05	6.10	0.00	10.45	5.05
2	चम्बा	55.30	96.68	224.06	0.48	0.00	3.13	0.00
3	हमीरपुर	90.48	13.28	51.91	3.20	0.00	4.20	34.50
4	कांगड़ा	27.00	3.70	330.85	0.15	0.00	33.30	140.76
5	किन्नौर	0.00	10.13	9.13	0.05	0.00	0.00	14.80
6	कुल्लु	150.01	26.63	60.84	2.94	0.00	5.23	16.52
7	लाहौल स्पिति	0.00	6.67	5.85	0.00	0.00	0.00	1.00
8	मण्डी	45.90	31.78	201.55	7.55	0.00	25.82	14.45
9	षिमला	70.95	34.50	131.40	19.35	0.00	2.46	20.00
10	सिरमौर	254.57	63.00	35.80	9.60	0.00	14.76	22.42
11	सोलन	0.00	59.00	0.40	7.35	0.00	10.78	13.59
12	ऊना	0.00	22.80	178.72	24.69	0.00	13.92	14.29
	योग	694.21	418.38	1277.56	81.46	0.00	124.05	297.38

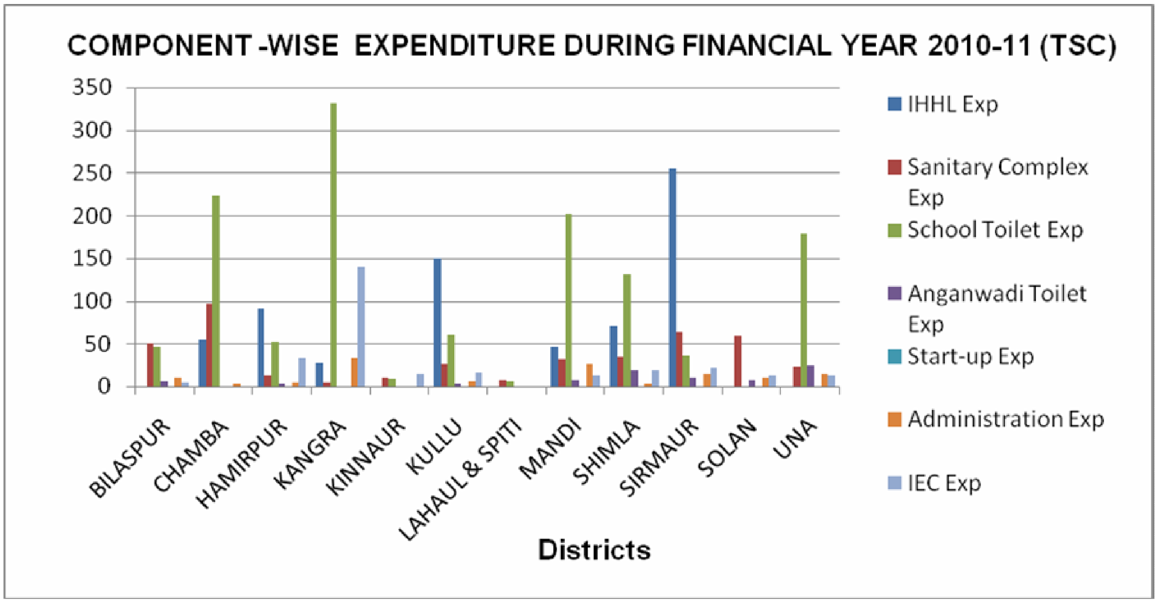

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

महिला मण्डलों को सुदृढ़ करने तथा विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिष्चित करने के उद्देष्य से विभाग द्वारा वर्ष 1998–99 में महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई ! अब इस योजना को पूर्णरूप से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा चुका है जिसमें महिला मण्डल मण्डलों के प्रोत्साहन हेतु वित्त वर्ष 2010–11 में 182.50 लाख रूपये उन महिला मण्डलों को प्रदान किए गए जिन्होनें अपने गांव,वार्ड,ग्राम पंचायत को बाह्य शौचमुक्त करने में योगदान दिया !

निर्मल ग्राम पुरस्कार

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्तूबर, 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किए तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में वितरित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग हैं । सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना षिक्षा व सम्प्रेषण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य षिक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं , समुदाय आधारित सामाजिक समूहों, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उददेष्य निम्न हैं‘–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सामाजिक एवं राजनैतिक बहस का मुददा बनाना।
2. खुले में शौच मुक्त वातावरण एवं साफ सुथरे आदर्ष गांव विकसित करना जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हों।
3. खुले में शौच प्रथा को पूर्णतय बंद करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों के स्थाईत्व को बनाए रखने के लिए उनको प्रोत्साहन प्रदान करना।
4. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में समुदायिक लामबंदी को बढावा देने के लिए उनके द्वारा वैष्वीय स्वच्छता के बढ़ावे के लिए संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान प्रदान करना ।

हिमाचल प्रदेष में पिछले वर्षों के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या	वितरित पुरस्कार राषि
2007	22 ग्राम पंचायत	मु0 26.00 लाख
2008	245 ग्राम पंचायत व एक खण्ड	मु0 363.00 लाख
2009	253 ग्राम पंचायत	मु0 364.50 लाख
2010	168 ग्राम पंचायत	मु0 261.50 लाख

राज्य स्वच्छता पुरस्कार

1. महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

प्रदेष में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने व बाह्य शौच मुक्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता प्रतिस्पर्धा पर प्रतियोगिता आधारित राज्य प्रोत्साहन योजना 'महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरूस्कार' नाम से प्रारम्भ की गई है और इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वितरण का राज्य स्तरीय सामारोह प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस के साथ आयोजित किया जाता है ! 15 अगस्त,2010 को विजेता बाह्य ष्षौच मुक्त 104 ग्राम पंचायतों को इस पुरस्कार के रूप में में 147.00 लाख रूपये वितरित किए गए ! इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राषि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

- खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 1.00 लाख
- जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 3.00 लाख (300 ग्राम पंचायतों से अधिक के जिला में दो ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जा सकता है)
- मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 5.00 लाख
- राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– 10.00 लाख

2. स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना (प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलों के लिए)

राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत एक नई प्रोत्साहन योजना 3 दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है ! इस योजना के अर्न्तगत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किए जाएगें ! यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना 31 दिसम्बर से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल को समाप्त होगी जब विजेता स्कूलों को हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर पुरस्कार वितरित किए जाएगें ! इस योजना के अर्न्तगत जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 50000/– रूपये के साथ–साथ प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह दिया जाएगा ! खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 20000/– रूपये के साथ–साथ प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह होगा ! खण्ड स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10000/– रूपये के साथ–साथ प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह होगा । वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना के अन्तर्गत मु0 58.20 लाख रूपये जिलों को विजेताओं के लिए पुरस्कार राषि हेतु आंबटित किए गए !

8- सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया हैः–

क) सरकार/सचिवालय स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	दूरभाष नम्बर	पदनाम
1.	प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)	2621897(कार्य0)	अपील प्राधिकारी
2.	विशेष सचिव (ग्रामीण विकास)/ संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास) उप–सचिव (ग्रामीण विकास)	2623820, (कार्य0) 2623822 .. 2623830 ..	राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	अनुभाग अधिकारी/अधीक्षक	2625484 ..	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी

ख) विभागीय स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	दूरभाष नम्बर	पदनाम
1.	निदेशक (ग्रामीण विकास)	2623820(कार्य0)	राज्य जन सूचना अधिकारी
2.	अतिरिक्त निदेषक, (ग्रामीण विकास), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास)	2623822,(कार्य0) 2623830 ..	राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	अधीक्षक–ग्रेड–1 (सी0डी0–111) अधीक्षक–ग्रेड–1 (सी0डी0–11) अधीक्षक–ग्रेड–1 (बजट)	2623819 .. विस्तार सेवा 214 2623819 .. विस्तार सेवा 213 2623819 .. विस्तार सेवा 231	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी

ग) जिला एवं खण्ड स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में)
1.	समस्त ए0डी0सी/ए0डी0एम0 एवं पी0डी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि0प्र0)	जन सूचना अधिकारी
2.	समस्त परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि0प्र0)	सहायक जन सूचना अधिकारी
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी/अधीक्षक	सहायक जन सूचना अधिकारी

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना www.hprural.nic.in पर उपलब्ध है।